

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 429/2013 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 12.07.2013

फाइलिंग नंबर : 230303005872013

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—सोनू पुत्र रामरतन किरार उम्र 26 साल व्यवसाय खेती
निवासी ग्राम रिठौरा कला पुलिस थाना रिठौरा जिला
मुरैना म0प्र0

2—संजू पुत्र जगदीश सिंह भदौरिया उम्र 26 साल
व्यवसाय खेती निवासी चितावली पुलिस थाना सुरपुरा
जिला भिण्ड

3—देवेन्द्र पुत्र गंगाराम जोशी उम्र 22 साल व्यवसाय खेती
निवासी ग्राम इकहारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड

4—राजू उर्फ राजकुमार पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 24 साल
व्यवसाय खेती निवासी ग्राम जिमलेदार का पुरा थाना
मालनपुर जिला भिण्ड

5—धर्मवीर पुत्र रामनारायण गुर्जर उम्र 30 साल व्यवसाय
खेती निवासी ग्राम जिमलेदार का पुरा थाना मालनपुर
जिला भिण्ड म0प्र0

— अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा—457, 380 भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री आर0पी0एस0गुर्जर)

निर्णय

(आज दिनांक 22-07-2017 को घोषित)

1. आरोपीगण पर दिनांक 25-26.09.12 की दरमियानी रात्रि में रामप्रसाद गुर्जर के होटल के सामने गालिव ऋषि प्राइवेट कॉलेज में जोकि संपत्ति की

अभिरक्षा एवं शिक्षण संस्थान के रूप में प्रयोग में आता था, में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार कारित करने एवं उसी समय फरियादी मनोहरसिंह कुशवाह के आधिपत्य से कम्प्यूटर, एल.सी.डी., की-बोर्ड, सी.पी.यू. इत्यादि कीमत लगभग पचास हजार रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 457 एवं 380 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी मनोहरसिंह गालव ऋषि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थ था। दिनांक 26.09.11 को प्रातः दस बजे जब उसने आकर संस्था का अवलोकन किया था तो यह पाया था कि कम्प्यूटर कक्ष में से पांच कम्प्यूटर मशीन, आठ एल.सी.डी., सात की-बोर्ड, सात माउस गायब थे सभी उपकरण विप्रो कंपनी के थे। उसने देखरेख करने वाले रामप्रसादसिंह से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि उसने रात को 2-3 बार चक्कर लगाये थे परन्तु विद्यालय के आसपास कोई नहीं दिखा था। चोरी गये सामान की कीमत पचास हजार रुपये थे। रात को कोई अज्ञात चोर खिड़की का पटा तोड़कर सामान चोरी करके ले गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालनपुर में अप0क्र0 141/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं:-

1. क्या दिनांक 25-26.09.12 की दरमियानी रात्रि रामप्रसाद गुर्जर के होटल के सामने स्थित गालव कृषि प्राइवेट कॉलेज से कम्प्यूटर, एल.सी.डी., की-बोर्ड, सी.पी.यू. इत्यादि की चोरी हुई ?
2. क्या उक्त चोरी आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही कारित की गयी ?
3. क्या आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर गालव कृषि प्राइवेट कॉलेज में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया गया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मनोहरसिंह कुशवाह अ0सा01, मुनेन्द्रसिंह भदौरिया अ0सा02, रामप्रसाद अ0सा03, महिपाल अ0सा04, आरक्षक प्रदीप कुमार अ0सा05, मोहम्मद हुसैन अ0सा06, नवाबसिंह अ0सा07, रामनरेश शर्मा अ0सा08, अभिषेक शर्मा अ0सा09, अरविन्दसिंह अ0सा010, रामेश्वर अ0सा011, दिलीप सविता अ0सा012 एवं ए.एस.आई. आशाराम

गौड़ अ0सा013 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी मनोहरसिंह कुशवाह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 25 सितम्बर 2012 की रात्रि में गालव कृषि आई.टी.आई. कॉलेज से कम्प्यूटर चोरी हुए थे। सुबह दस बजे जब वह संस्था में आये थे एवं संस्था का अवलोकन किया था तो पाया था कि कम्प्यूटर कक्ष से कम्प्यूटर मशीन गायब थी। पांच कम्प्यूटर मशीन, आठ एल.सी.डी. मॉनीटर, सात की-बोर्ड, सात माउस एवं कम्प्यूटर, केबल आदि छोटा मोटा सामान गायब था। सभी सामान विप्रो कंपनी के थे। उसके बाद उसने चौकीदार रामप्रसाद गुर्जर से संपर्क किया था तो उसने बताया था कि उसने रात में दो बार कॉलेज का निरीक्षण किया था लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया था। चोरी गया सामान 98,000/-रुपये का रहा होगा। कम्प्यूटर कक्ष में विण्डो ए.सी. की जगह पर ए.सी. नहीं लगा था वहीं से अज्ञात लोग सामान चोरी कर ले गये होंगे। उसने संस्था के चैयरमेन श्री मुनेन्द्रसिंह भदौरिया को सूचित किया था उन्होंने आकर संस्था का निरीक्षण किया था इसके बाद उसने घटना की रिपोर्ट मालनपुर थाने में दर्ज कराई थी जो प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्र0पी-2 हैं जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जप्तशुदा कम्प्यूटर की पहचान पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा करवाई गयी थी। जप्तशुदा कम्प्यूटर के साथ कोई अन्य कम्प्यूटर मौजूद नहीं थे। वह नहीं बता सकता कि पहचान कार्यवाही किस समय एवं किस दिनांक को हुई थी।
8. मुनेन्द्रसिंह भदौरिया अ0सा02 ने भी फरियादी मनोहरसिंह कुशवाह अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं दिनांक 25 सितम्बर 2012 को इंस्टीट्यूट से कम्प्यूटर एल.सी.डी. माउस इत्यादि चोरी होने बाबत प्रकटीकरण किया है। रामनरेश शर्मा अ0सा08, अभिषेक शर्मा अ0सा09, ने भी दिनांक 25.09.12 को गालव ऋषि औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र मालनपुर से कम्प्यूटर, एल.सी.डी., माउस चोरी होने बाबत कथन किया है। रामप्रसाद अ0सा03 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसे कॉलेज के भदौरिया जी ने कॉलेज से कम्प्यूटर चोरी होने की जानकारी दी थी। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन गालव कृषि प्राइवेट कॉलेज कम्प्यूटर चोरी होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है।
9. इस प्रकार फरियादी मनोहरसिंह कुशवाह अ0सा01 जिसके द्वारा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी है, ने अपने कथन में घटना दिनांक को गालव कृषि प्राइवेट कॉलेज से कम्प्यूटर, एल.सी.डी., इत्यादि चोरी होने बाबत कथन किया है। प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी कॉलेज से कम्प्यूटर, एल.सी.डी., माउस इत्यादि चोरी होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी मनोहरसिंह कुशवाह अ0सा01 का कथन प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट

से भी पुष्ट रहा है। उक्त बिन्दु पर फरियादी मनोहरसिंह अ0सा01 के कथन का समर्थन मुनेन्द्रसिंह भदौरिया अ0सा02, रामप्रसाद अ0सा03, रामनरेश शर्मा अ0सा08, अभिषेक शर्मा अ0सा09 द्वारा भी किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन घटना दिनांक को कॉलेज से कम्प्यूटर चोरी होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। फलतः उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को गालव कृषि प्राइवेट कॉलेज से कम्प्यूटर, एल.सी.डी. एवं माउस इत्यादि की चोरी हुई थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 एवं 03

10. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।
11. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी मनोहरसिंह कुशवाह अ0सा01 द्वारा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लेखबद्ध कराई गयी है। फरियादी मनोहरसिंह कुशवाह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को गालव ऋषि आई.टी.आई. कॉलेज से पांच कम्प्यूटर मशीन, आठ एल.सी.डी. मॉनीटर, सात की-बोर्ड, सात माउस, कम्प्यूटर केबल इत्यादि चोरी हो गये थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कम्प्यूटरों की चोरी नहीं हुई थी और ना ही उसने किसी को देखा था। पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि चोरी किसने की थी उसे नहीं पता है।
12. मुनेन्द्रसिंह भदौरिया अ0सा02 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि 25 सितम्बर 2012 को इंस्टीट्यूट में चोरी हो गयी थी उसे चोरी की सूचना मनोहरसिंह ने टेलीफोन से दी थी फिर उसने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस थाना मालनपुर से यह खबर आई थी कि चोरी गये कम्प्यूटर मिल गये हैं। उक्त सूचना के बाद वह पुलिस थाना मालनपुर गया था थाने पर उसे बताया गया था कि राजकुमार एवं सोनू आदि पकड़े गये हैं। आरोपीगण से मामले में कम्प्यूटर आदि जप्त हुए थे जो उसे मिल चुके हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे राजकुमार, धर्मवीर, संजू भदौरिया एवं देवेन्द्र का नाम पुलिसवालों ने बताया था एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने किसी भी आरोपी से सामान की जप्ती नहीं हुई थी। पद क्रमांक 6 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को चोरी करते हुए नहीं देखा था। पद क्रमांक 11 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे आरोपीगण के नाम पुलिसवालों ने बताये थे उसी आधार पर वह आरोपीगण का नाम बता रहा है।
13. साक्षी रामप्रसाद अ0सा03 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह खेती का काम करता है एवं साथ में होटल भी चलाता है। उसके होटल के पास गालव ऋषि कॉलेज है। कॉलेज के भदौरिया जी उसके होटल में चाय पीने आते थे उन्हीं से उसने कॉलेज में चोरी होने की बात सुनी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह कॉलेज की देखभाल का काम

भी करता था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने कॉलेज की खिड़की टूटी हुई देखी थी।

14. साक्षी रामनरेश शर्मा अ0सा008, अभिषेक शर्मा अ0सा009, ने भी घटना वाले दिन गालव आई.टी.आई. कॉलेज में चोरी होना बताया है एवं प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 9 में उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि चोरी किसने की थी।
15. ए.एस.आई. आशाराम गौड़ अ0सा013 जोकि जप्तीकर्ता है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि विवेचना के दौरान उसने आरोपी राजू उर्फ राजकुमार तथा सोनू किरार को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-11 एवं 12 तथा आरोपी देवेन्द्र एवं संजू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-14 एवं 15 तैयार किए थे जिनके क्रमशः सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी राजू उर्फ राजकुमार से पूछताछ कर उसने प्र0पी-9 का मैमोरेण्डम गवाहों के समक्ष लेख किया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मैमोरेण्डम के आधार पर उसने आरोपी राजू के मकान से एक कम्प्यूटर, एक एल.सी.डी. एवं की-बोर्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-6 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सोनू से अभिरक्षा के दौरान पूछताछ कर उसने प्र0पी-10 का मैमोरेण्डम बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मैमोरेण्डम के आधार पर उसने आरोपी सोनू के घर ग्राम रिठौरा से उसके द्वारा पेश किए जाने पर विप्रो कंपनी का कम्प्यूटर, एल.सी. डी. मॉनीटर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-7 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी देवेन्द्र से पूछताछ कर प्र0पी-18 का मैमोरेण्डम बनाया था जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मैमोरेण्डम के आधार पर उसने 19 नंबर कंपनी कस्बा मालनपुर से आरोपी देवेन्द्र द्वारा पेश करने पर की-बोर्ड, एक एल.सी.डी., सी.पी.यू. कम्प्यूटर विप्रो कंपनी का जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-16 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी संजू से पूछताछ कर उसने प्र0पी-19 का मैमोरेण्डम बनाया था। जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी संजू से एक कम्प्यूटर मशीन, एल. सी.डी., की-बोर्ड, यू.पी.एस. जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-17 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी धर्मवीर को गिरफ्तार कर उसने गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-21 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी धर्मवीर से पूछताछ कर उसने प्र0पी-22 का मैमोरेण्डम बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मैमोरेण्डम के आधार पर उसने आरोपी धर्मवीर से फ्लेक्स कंपनी के सामने वासुदेव गुर्जर के मकान के सामने हरीरामपुरा से एक कम्प्यूटर सेट जिसमें एल.सी.डी. एवं सी.पी.यू. मशीन लगी थी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-8 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
16. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसे नहीं पता है कि आरोपी राजकुमार की गिरफ्तारी के समय कौन-कौन से साक्षी उपस्थित थे। पद क्रमांक 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी देवेन्द्र एवं संजू की गिरफ्तारी के समय कौन-कौन से साक्षी उपस्थित थे उसे ध्यान नहीं है। उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी धर्मवीर को गिरफ्तार करते समय कौन-कौन से साक्षी मौजूद थे। पद क्रमांक 7 में उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया

गया है कि उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी राजू उर्फ राजकुमार एवं सोनू के द्वारा साक्षी नवाबसिंह के सामने मैमोरेण्डम दिया गया था या नहीं। आरोपी धर्मवीर के मैमोरेण्डम के समय कौन-कौन से साक्षीगण उपस्थित थे उसे ध्यान नहीं है। पद क्रमांक 8 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी राजू का जप्ती पंचनामा किस साक्षी के सामने तैयार किया गया था। उसे ध्यान नहीं है कि किस-किस साक्षी के समक्ष आरोपी संजू व देवेन्द्र के जप्ती पत्रक तैयार किए गए थे। उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी धर्मवीर के जप्ती पंचनामे के समय कौन-कौन से साक्षी उपस्थित थे।

17. आरक्षक प्रदीप कुमार अ0सा05 एवं दिलीप सविता अ0सा012 ने भी आशाराम गौड़ अ0सा013 के कथन का समर्थन किया है।
18. साक्षी महिपाल अ0सा04 मोहम्मद हुसैन अ0सा06, एवं नवाबसिंह अ0सा07 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।
19. अरविन्दसिंह अ0सा010 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी राजू गुर्जर को जानता है। आरोपी राजू ने उसकी मोबाइल की दुकान के सामने किसी लड़के को जिसका नाम उसे नहीं पता है, कम्प्यूटर दिया था। उसे जानकारी नहीं है कि कम्प्यूटर किस कंपनी का था एवं कहां से आया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी राजू ने कम्प्यूटर बेचने के लिए उसे कम्प्यूटर दिखाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने राजू के पास किसी भी कंपनी का कम्प्यूटर नहीं देखा था।
20. साक्षी रामेश्वर अ0सा011 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी धर्मवीर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-21 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने धर्मवीर से कोई जप्ती नहीं की थी। धर्मवीर ने उसके सामने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी धर्मवीर से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी-22 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी-23 बनाया था।
21. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
22. प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी मनोहरसिंह कुशवाह अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कम्प्यूटर की चोरी नहीं हुई थी उसने किसी को चोरी करते हुए नहीं देखा था। साक्षी मुनेन्द्रसिंह भदौरिया अ0सा02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के

दौरान यह स्वीकार किया है कि प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखाई गयी थी तथा उसे आरोपीगण के नाम पुलिस वालों ने बताये थे तथा उसने किसी व्यक्ति को चोरी करते हुए नहीं देखा था। साक्षी रामप्रसाद अ0सा03 ने भी यह बताया है कि उसने कॉलेज के भदौरिया जी से चोरी की बात सुनी थी। इस प्रकार उक्त सभी साक्षीगण के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने किसी भी व्यक्ति को चोरी करते हुए नहीं देखा था। साक्षी रामनरेश शर्मा अ0सा08, अभिषेक शर्मा अ0सा09 ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि चोरी किसने की थी। साक्षी महिपाल अ0सा04, मोहम्मद हुसैन अ0सा06 एवं नवाबसिंह अ0सा07 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

23. साक्षी अरविन्दसिंह अ0सा010 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपी राजू ने उसके सामने किसी लडके को कम्प्यूटर दिया था परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसे जानकारी नहीं है कि कम्प्यूटर किस कंपनी का था एवं कहां से आया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे कम्प्यूटर दिखाया था एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने राजू के पास कोई कम्प्यूटर नहीं देखा था इस प्रकार साक्षी अरविन्द सिंह अ0सा010 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
24. साक्षी रामेश्वर अ0सा011 जोकि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी धर्मवीर की जप्ती, मैमोरेण्डम एवं गिरफ्तारी का साक्षी है ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसके सामने आरोपी धर्मवीर ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी एवं ना ही पुलिस ने आरोपी धर्मवीर से कोई जप्ती की थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी धर्मवीर से चोरी के संबंध में पूछताछ की थी एवं उससे कम्प्यूटर सेट जप्त किया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने प्र0पी-22 का मैमोरेण्डम एवं प्र0पी-23 का जप्ती पंचनामा बनाया था। इस प्रकार साक्षी रामेश्वर अ0सा011 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं मैमोरेण्डम तथा जप्ती की कार्यवाही से इंकार किया गया है।
25. जहां तक ए.एस.आई. आशाराम गौड़ अ0सा013 एवं आरक्षक प्रदीप कुमार अ0सा05 तथा दिलीप सविता अ0सा012 के कथन का प्रश्न है तो आशाराम गौड़ अ0सा013 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी राजू उर्फ राजकुमार, सोनू किरार, देवेन्द्र जोशी, संजू, एवं धर्मवीर को गिरफ्तार करने एवं उनसे चोरी के संबंध में पूछताछ कर मैमोरेण्डम तैयार करने तथा आरोपीगण से जप्ती पंचनामा प्र0पी-6, प्र0पी-7, प्र0पी-16, प्र0पी-17, एवं प्र0पी-8 के अनुसार कम्प्यूटर जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाने बाबत प्रकटीकरण किया है। परन्तु उक्त साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी राजू, सोनू, देवेन्द्र, संजू, एवं धर्मवीर ने क्या कथन दिया था। उक्त साक्षी द्वारा मैमोरेण्डम प्र0पी-9, प्र0पी-10, प्र0पी-18, प्र0पी-19 एवं प्र0पी-22 के तथ्यों को विशिष्ट रूप से

प्रमाणित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ए.एस.आई. आशाराम गौड़ अ0सा013 ने आरोपी राजकुमार, सोनू, देवेन्द्र, संजू, एवं धर्मवीर को गिरफ्तार करना उनसे चोरी के संबंध में पूछताछ कर मैमोरेण्डम तैयार करना तथा मैमोरेण्डम के अनुसार उनसे कम्प्यूटर जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार करना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसे ध्यान नहीं है कि राजकुमार की गिरफ्तारी के समय कौन-कौन से साक्षी उपस्थित थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे यह भी ध्यान नहीं है कि आरोपी देवेन्द्र की गिरफ्तारी के समय एवं आरोपी संजू भदौरिया की गिरफ्तारी के समय कौन-कौन से साक्षी उपस्थित थे। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी राजू उर्फ राजकुमार एवं सोनू के द्वारा साक्षी नवाबसिंह के सामने मैमोरेण्डम दिया गया था अथवा नहीं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि धर्मवीर का मैमोरेण्डम लेते समय कौन-कौन से साक्षीगण उपस्थित थे उसे ध्यान नहीं है। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपी राजू, संजू, एवं देवेन्द्र के जप्ती पंचनामा किस साक्षी के समक्ष तैयार किए गए थे उसे ध्यान नहीं है।

26. इस प्रकार ए.एस.आई. आशाराम गौड़ अ0सा013 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में तो आरोपी राजकुमार, सोनू, देवेन्द्र, संजू एवं धर्मवीर को गिरफ्तार करना उनसे मैमोरेण्डम लेना एवं उनसे कम्प्यूटर जप्त करना तो बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी यह बताने में असमर्थ रहा है कि आरोपी राजकुमार, सोनू, देवेन्द्र, संजू एवं धर्मवीर के मैमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही किन-किन साक्षीगण के सामने हुई थी उक्त साक्षी यह भी बताने में असमर्थ रहा है कि साक्षी नवाबसिंह के सामने उसने आरोपी राजकुमार एवं सोनू का मैमोरेण्डम लिया था अथवा नहीं। इस प्रकार ए.एस.आई. आशाराम गौड़ मैमोरेण्डम एवं जप्ती पंचनामों की विशिष्टियों को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी जप्तीकर्ता है एवं अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपीगण की गिरफ्तारी, मैमोरेण्डम एवं जप्ती की समस्त कार्यवाही उक्त साक्षी द्वारा की गयी है परन्तु उक्त साक्षी अपने परीक्षण के दौरान यह बताने में असमर्थ रहा है कि उसने किन साक्षीगण के सामने आरोपीगण की जप्ती, गिरफ्तारी एवं मैमोरेण्डम की कार्यवाही की थी। यह तथ्य जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देता है।

27. जहां तक आरक्षक प्रदीप एवं आरक्षक दिलीप सविता के कथन का प्रश्न है तो आरक्षक प्रदीप अ0सा05 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसके सामने ए.एस.आई. आशाराम गौड़ ने आरोपी राजू उर्फ राजकुमार के यहां से कम्प्यूटर, एल.सी.डी., माउस, की-बोर्ड इत्यादि जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-6 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सोनू से कम्प्यूटर इत्यादि जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-7 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी धर्मवीर से भी कम्प्यूटर सेट जप्त हुआ था जप्ती पंचनामा प्र0पी-8 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। ए.एस.आई. आशाराम गौड़ ने आरोपी राजकुमार, सोनू से चोरी के संबंध में पूछताछ कर मैमोरेण्डम तैयार किए थे। आरोपी धर्मवीर का भी धारा 27 का मैमोरेण्डम लिया होगा परन्तु उसे ध्यान नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि ए.एस.आई. आशाराम गौड़ ने उसके सामने आरोपी राजू, सोनू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-11 एवं 12 बनाये थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है

कि धर्मवीर की गिरफ्तारी, मैमोरेण्डम, जप्ती कितने बजे हुई थी उसे ध्यान नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी धर्मवीर से क्या-क्या सामान जप्त हुआ था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे ए.एस.आई. आशाराम गौड़ ने बताया था कि आरोपीगण से कम्प्यूटर जप्त हुए हैं आप हस्ताक्षर कर दो तो मैंने कर दिए थे। इस प्रकार आरक्षक प्रदीप अ0सा05 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी राजू एवं सोनू से चोरी के संबंध में पूछताछ करना एवं उनसे जप्ती करना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसे आशाराम गौड़ ने बताया था कि आरोपीगण से कम्प्यूटर जप्त हुए हैं एवं आशाराम गौड़ ने उससे हस्ताक्षर करने के लिए कहा था तो उसने हस्ताक्षर कर दिए थे। उक्त साक्षी के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि उसके सामने आरोपीगण से कोई जप्ती नहीं की गयी थी। उसने आशाराम गौड़ के कहने पर मात्र पंचनामों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

28. आरक्षक दिलीप सविता अ0सा012 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसके सामने ए.एस.आई. आशाराम गौड़ ने आरोपी देवेन्द्र और संजू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-14 व 15 बनाये थे एवं उसके सामने पुलिस ने देवेन्द्र एवं संजू से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी-18 एवं 19 तैयार किया था तथा आरोपी देवेन्द्र एवं संजू से कम्प्यूटर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-16 एवं 17 बनाया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि प्र0पी-16 के जप्ती पंचनामे की कार्यवाही थाने पर हुई थी। जबकि प्र0पी-16 के जप्ती पंचनामे के अनुसार उक्त पंचनामा 19नंबर कंपनी मालनपुर में बनाया गया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि प्र0पी-17, 18 एवं 19 के पंचनामों की कार्यवाही गालव ऋषि आई.टी.आई. कॉलेज में हुई थी जबकि जप्ती पंचनामा प्र0पी-17 में जप्ती की कार्यवाही 19 नंबर कंपनी मालनपुर में किए जाने का उल्लेख है एवं प्र0पी-18 तथा प्र0पी-19 के मैमोरेण्डम में भी उक्त मैमोरेण्डम 19नंबर कंपनी मालनपुर में लेख किए जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर आरक्षक दिलीप सविता अ0सा012 के कथन प्र0पी-16, एवं 17 के जप्ती पंचनामे तथा प्र0पी-18 एवं 19 के मैमोरेण्डम से पुष्ट नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षक दिलीप सविता अ0सा012 के कथन भी विश्वास योग्य नहीं हैं।
29. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी द्वारा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लेखबद्ध की गयी है एवं जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लेखबद्ध की जाती है वहां जप्ती, एवं मैमोरेण्डम के साक्षियों की साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि फरियादी मनोहरसिंह अ0सा01, मुनेन्द्रसिंह अ0सा02 ने मात्र चोरी होने का समर्थन किया है। उक्त साक्षीगण द्वारा किसी भी व्यक्ति को चोरी करते हुए नहीं देखा गया है। साक्षी रामप्रसाद अ0सा03, महिपाल अ0सा04, रामनरेश शर्मा अ0सा08, अभिषेक शर्मा अ0सा09, अरविन्दसिंह अ0सा010, ने भी मात्र चोरी होने का समर्थन किया है। उक्त साक्षीगण ने भी यह बताया है कि चोरी किसने की थी उन्हें जानकारी नहीं है।
30. साक्षी मोहम्मद हुसैन अ0सा06, नवाबसिंह अ0सा07 जोकि अभियोजन कहानी के अनुसार जप्ती एवं मैमोरेण्डम के साक्षी हैं ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। साक्षी रामेश्वर

अ0सा011 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। ए.एस.आई. आशाराम गौड़ अ0सा013 एवं आरक्षक प्रदीप कुमार अ0सा05 तथा दिलीप सविता अ0सा012 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही भी नहीं कराई गयी है। अतः यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आरोपीगण से कम्प्यूटर जप्त हुए थे तो भी यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपीगण से जप्तशुदा कम्प्यूटर वही कम्प्यूटर हैं जिनकी चोरी गालव ऋषि प्राइवेट कॉलेज से हुई थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध के लिए दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

31. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामले संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।
32. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 25-26.09.12 के दरमियानी रात्रि में रामप्रसाद गुर्जर के होटल के सामने गाल कृषि प्राइवेट कॉलेज में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्राच्छन्न गृहअतिचार कारित किया एवं उसी समय फरियादी के आधिपत्य से कम्प्यूटर, एल. सी.डी., की-बोर्ड एवं सी.पी.यू. उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजू उर्फ राजकुमार, सोनू किरार, देवेन्द्रसिंह, संजू एवं धर्मवीरसिंह को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0द0स0 की धारा 457 एवं 380 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
33. आरोपी राजू उर्फ राजकुमार, देवेन्द्र, संजू एवं धर्मवीर पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
34. आरोपी सोनू निरोध में है उसे स्वतंत्र किया जावे।
35. प्रकरण में जप्तशुदा कम्प्यूटर सेट पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उनके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक-22.07.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)